

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक-08/4/2019

संख्या-1/श्रम न्यांस्थां-03/2018 श्रंसं०10...../सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं० 3430, दिनांक 12.3.19 एवं महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना के अधिसूचना सं० 26615-26635, दिनांक 28.3.19 के आलोक में श्री कुमार अमित मनु, सब जज-सह-ए०सी०जे०एम०, अररिया को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-7(2) के साथ पठित धारा-8 के अन्तर्गत श्रम न्यायालय, पूर्णियाँ में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/श्रम न्यांस्थां-03/2018 श्रंसं०11...../सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं० 3430, दिनांक 12.3.19 एवं महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना के अधिसूचना सं० 26615-26635, दिनांक 28.3.19 के आलोक में श्री राहुल कुमार, सब जज-सह-ए०सी०जे०एम०, नवगछिया (भागलपुर) को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-7(2) के साथ पठित धारा-8 के अन्तर्गत श्रम न्यायालय, मोतिहारी में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/श्रम न्यांस्थां-03/2018 श्रंसं०12...../सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं० 3430, दिनांक 12.3.19 एवं महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना के अधिसूचना सं० 26615-26635, दिनांक 28.3.19 के आलोक में श्री राजेश कुमार द्विवेदी, ए०सी०जे०एम०-सह-सब-जज, दरभंगा को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-7(2) के साथ पठित धारा-8 के अन्तर्गत श्रम न्यायालय, पटना में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/श्रम न्यांस्थां-03/2018 श्रंसं०13...../सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं० 3430, दिनांक 12.3.19 एवं महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना के अधिसूचना सं० 26615-26635, दिनांक 28.3.19 के आलोक में श्री प्रशांत कुमार, सब-जज-सह-ए०सी०जे०एम०, भागलपुर को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-7(2) के साथ पठित धारा-8 के अन्तर्गत श्रम न्यायालय, मुंगेर में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/श्रम न्यांस्थां-03/2018 श्रंसं०14...../सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं० 3430, दिनांक 12.3.19 एवं महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना के अधिसूचना सं० 26615-26635, दिनांक 28.3.19 के आलोक में श्री अजय कुमार नं०-01, -ए०सी०जे०एम०-सह-सब जज, दरभंगा को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-7(2) के साथ पठित धारा-8 के अन्तर्गत श्रम न्यायालय, बेगूसराय में पीठासीन


आ.डि.वे.के.के.

पदाधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है।


संख्या-1/श्रम न्यायास्था-03/2018 श्रंसं०15...../सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं० 3430, दिनांक 12.3.19 एवं महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना के अधिसूचना सं० 26615-26635, दिनांक 28.3.19 के आलोक में श्री जितेश कुमार, सचिव, डी०एल०एस०ए०, सीतामढ़ी (सिविल जज, सीनियर डिवीजन) को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-7(2) के साथ पठित धारा-8 के अन्तर्गत श्रम न्यायालय, छपरा में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/श्रम न्यायास्था-03/2018 श्रंसं०16...../सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं० 3430, दिनांक 12.3.19 एवं महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना के अधिसूचना सं० 26615-26635, दिनांक 28.3.19 के आलोक में श्री संदीप अग्निहोत्री, सचिव, डी०एल०एस०ए०, नवादा (सिविल जज, सीनियर डिवीजन) को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-7(2) के साथ पठित धारा-8 के अन्तर्गत श्रम न्यायालय, मुजफ्फरपुर में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(सूर्यकान्त मणि)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/श्रम न्यायास्था-03/2018 श्रंसं०16...../ पटना, दिनांक-08/4/2019
प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ / महालेखाकार, बिहार, पटना / सम्बन्धित सभी कोषागार पदाधिकारी / महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना / अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / मा० विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना / श्रमायुक्त बिहार, पटना / निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना / निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना / मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना / मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक, बिहार, पटना / सचिव विधि विभाग, बिहार, पटना / सभी संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार / सभी उप श्रमायुक्त, बिहार / मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी / अधिसूचना में नामित सभी पदाधिकारी / आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. श्रमायुक्त बिहार, पटना से अनुरोध है कि नवसृजित श्रम न्यायालय, मुंगेर में पीठासीन पदाधिकारी के कार्यालय एवं वेतनादि के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।


सरकार के उप सचिव।